

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : प 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/1112

दिनांक : 28.01.2026

आदेश

नगरपालिका चुनावों के लिये मतपत्रों का मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से कराने के आदेश आयोग द्वारा जारी किए हैं। निजी मुद्रणालय में मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् शेष अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण के बाबत आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

जैसे ही किसी नगरपालिका के वार्डों में मतदान समाप्त हो जाये और यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि, नगरपालिका के किसी वार्ड में किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंधित मुद्रणालयों पर अधिशेष मतपत्रों के छोटे-छोटे टुकड़ों किए जाकर फर्श की बुहारन और अन्य रद्दी मतपत्रों के टुकड़ों को एकत्रित कर साथ जलाकर नष्ट किया जाएगा। यह कार्य रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो कि राजपत्रित अधिकारी के स्तर का होगा एवं मुद्रणालय के प्रबंधक की उपस्थिति में किया जाएगा।

अपनी उपस्थिति में अधिशेष और रद्दी मतपत्र को जलाकर नष्ट किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या/परिमाण के बारे में प्रमाण-पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा।

परिणाम की घोषणा होने के बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उसके 10 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि, निर्वाचन के लिये मुद्रित कराये गये समस्त अधिशेष और रद्दी मतपत्र ऊपर बताई गई रीति से नष्ट कर दिए गए हैं, एक रिपोर्ट आयोग को भेजी जायेगी।

इस सम्बंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 3245 दिनांक 16.11.1999 एवं 3494 दिनांक 25.08.2014 को अधिकृत करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

28/1/26

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : प 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/1113 - 1118

दिनांक : 28.01.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।

4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (नगरपालिका) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान